प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–4/2017–18 4223-75 दिनांक 31 07.2017

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" वित्तीय वर्ष 2017–18 के संचालन हेतु प्रथम किश्त की धनराशि आवंटन एवं सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु आपके जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत दरों पर प्रथम किश्त (**अप्रैल 2017 से जुलाई 2017**) हेतु आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के तहत धनराशि रू0–47,44,16,000(रू0 सैंतालीस करोड़ चौवालीस लाख सोलह हजार मात्र) एवं में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हेतु मिशन फ्लैक्सीपूल के तहत रू0–81,00,00,000(रू0 इक्यासी करोड़ मात्र) अवमुक्त की जा रही है, तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश प्रेषित हैं।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी रणनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है।

1. **निःशुल्क परिवहन सुविधाः–**

1.1. प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित "102" गाड़ियों से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

1.2. बहुधा यह देखा गया है कि प्रसूता के रिश्तेदार स्वयं ही 102 एम्बुलेन्स वाहनों को प्रसूति के पश्चात बुलाकर जल्दी घर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे का विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि **चिकित्सा इकाइयों से 102 ड्रॉप–बैक सुविधा चिकित्सा प्रभारियों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाये।**

2. **निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः–**

2.1. वर्ष 2017–18 में भी प्रत्येक जनपद को सभी जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है। कृपया इस सम्बन्ध में सभी जिला महिला चिकित्सालयों को भी विस्तृत निर्देश जारी कर उनके मैटरनिटी वार्ड में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से निःशुल्क भोजन की सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दी जाये।

2.2. निःशुल्क भोजन प्रदान करने के मद में धनराशि का आंगणन जिला कार्ययोजना के माध्यम से जनपदों द्वारा लक्ष्य निर्धारण गत वर्ष जनपद की एल–2 व एल–3 प्रसव इकाइयों पर हुए संस्थागत प्रसवों के अनुपात में किया गया है। **एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.3** पर वर्तमान में प्रथम किश्त (**अप्रैल 2017 से जुलाई 2017**) हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।

2.3. **टेण्डर की व्यवस्था**–टेण्डर में नाश्ते, लंच व डिनर हेतु दरों का निर्धारण पूर्व में ही सुनिश्चित किया जाये, एवं उपयोग की गयी डाइट के आधार पर ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाये।

2.4. जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन सम्भव नहीं हो पाया है अथवा वेण्डर छोड़कर चले गये हैं, वे जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील महिला

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया को अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करना अनिवार्य है।

2.5. गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भर्ती दिवसों की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से ही सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सीजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण भर्ती अवधि में निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जाये।

2.6. अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रु0 40.00), दो फल अथवा दो अण्डे (लगभग रु0 20.00), दोनों समय अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेज्ड मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

2.7. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को निम्नलिखित प्रारूप पर **जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर** व्यवस्थित करना अनिवार्य है। यह डाइट रजिस्टर भर्ती प्रसूताओं की वास्तवित संख्या व उनके द्वारा प्राप्त किये गये भोजन के आधार पर ही प्रभारी नर्स द्वारा भरा जायेगा। राज्य स्तरीय टीमों द्वारा अनुश्रवण के दौरान पाया गया है कि डाइट रजिस्टर को मानकानुसार नही भरा जा रहा है। रजिस्टर के रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रभारी वार्ड नर्स का ही होगा और इकाई के प्रभारी इसको प्रतिदिन अवलोकित करेंगे। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो इस रजिस्टर का अवलोकन अवश्य करें।

जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	भर्ती की तिथि एवं समय	प्रसव की तिथि एवं समय	चिकित्सालय से छुटटी किये जाने की तिथि एवं समय	दी गयी डाइट की संख्या			चिकित्सालय में भर्ती के दौरान डाइट पर हुआ कुल व्यय रू0...	वार्ड प्रभारी के हस्ताक्षर
					नाश्ता@ रू0..... (डबल रोटी/दूध/अण्डा/मक्खन)	दोपहर का भोजन @ रू0.....	रात्रि का भोजन @ रू0.....		

3. निःशुल्क उपचार (औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था):– (FMR CODE -B.16.2.1.3.1)

यह कार्यक्रम सभी गर्भवती महिलाओं को आच्छादित करने के लिये है न कि मात्र प्रसूताओं को।

3.1. इस मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी हैं। निःशुल्क औषधि व उपचार प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में कुल सम्भावित गर्भवती महिलाओं के 80 प्रतिशत आच्छादन के आधार पर निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः किसी कारणवश हमारी राजकीय इकाईयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी किन्तु प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करेंगी। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

3.2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रसव पूर्व सेवाओं हेतु प्रदेश की कुल 50.00 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- ✓ सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 आयरन की गोली दी जानी हैं। इसी प्रकार प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार गर्भावस्था में 180 गोलियां एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ गर्भवती महिला को दी जानी है। एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार एनिमिक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में 360 गोलियां एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ दी जानी है। प्रदेश में 50 प्रतिशत एनीमिक गर्भवती महिलाओं के दृष्टिगत समस्त गर्भवती

महिलाओं के लिये 450 आई0एफ0ए0 गोली प्रति महिला आवश्यक होंगी। इस आंगणन के अनुसार सभी जनपद आयरन फोलिक एसिड गोलियों के क्रयादेश जारी करें। एनिमिया प्रबंधन हेतु पत्र संख्या–म0शि0क0/एनिमिया/दिशा निर्देश/2017–18/792–19 द्वारा पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

- ✓ सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में कैल्सियम की, 02 गोली (1–1गोली सुबह शाम) इसी प्रकार प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्सियम (1–1गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद दी जानी हैं। इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को **720 गोली कैल्शियम** की दी जानी होंगी। इस आंगणन के अनुसार सभी जनपद कैल्शियम गोलियों के क्रयादेश जारी करें।
- ✓ ए0एन0एम0 प्रत्येक गर्भवती को **द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली वी0एच0एन0डी0 सत्र में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।**
- ✓ उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में होने वाली सामान्य बीमारियों का उपचार, गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज द्वारा चिकित्सा, उच्च रक्तचाप आदि का उपचार भी इसी मद से उपलब्ध कराया जायेगा। ब्लड़ ट्रांसफ्यूजन हेतु कन्ज्यूमेबल निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा चुके हैं।
- ✓ इन सभी आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रसव पूर्व देखभाल हेतु औसतन रू0–250.00 प्रति गर्भवती की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है।

3.3. इसी प्रकार राजकीय प्रसव इकाइयों पर निःशुल्क सामान्य प्रसव सेवा उपलब्ध कराने हेतु औसतन रू0–400.00 प्रति प्रसव की दर से एवं ऑपरेशन द्वारा प्रसव पर औसतन रू0–1800.00 प्रति सीजेरियन प्रसव की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है। सिजेरियन प्रसव के लिये आने वाली प्रसूताओं हेतु आवश्यक सर्जिकल सूचर बेहोशी व सर्जरी के पश्चात व्यवस्था के लिये आवश्यक औषधियाँ सैनेटरी/मैटरनिटी नैपकिन्स की उपलब्धता भी इसी धनराशि से सुनिश्चित करें। किसी भी प्रसूता से बाहर से दवा, उपकरण अथवा कोई अन्य सामग्री न मंगवायी जाये।

3.4. निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में 01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये। उचित होगा कि पोर्टल पर प्रविष्ट के समय एम0सी0टी0एस0 में अंकन से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3.5. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसव इकाईयों हेतु Essential Drug List (EDL) 2017-18 में सम्मिलित औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के अतिरिक्त भी आवश्यक औषधियाँ नियमानुसार क्रय की जा सकती हैं। यह EDL सभी चिकित्सा इकाइयों पर दवा काउण्टरों एवं लेबर रूम के बाहर प्रदर्शित हो व चिकित्सा इकाई प्रभारियों के पास सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहे। **EDL को दीवार पर इस प्रकार पेन्ट करा दें कि प्रत्येक दवा के सामने उसकी उपलब्धता की स्थिति चॉक से अंकित की जा सके। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर उपलब्ध औषधियों का प्रदर्शन ऑडियो विजुअल डिस्प्ले (AV-AID) के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाये।**

3.6. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निःशुल्क उपचार के मद में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि एफ0एम0आर0 कोड **B.16.2.1.3.1** पर उपलब्ध है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं के प्रसव पश्चात निःशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है। भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति धनराशि में से प्रथम किश्त (**अप्रैल 2017 से जुलाई 2017**) हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

4. निःशुल्क खून पेशाब की जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधाः– A.1.6.1

4.1. निःशुल्क जाँचें प्रदान करने हेतु जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये 50 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः सरकारी इकाईयों पर संस्थागत प्रसव नहीं करायेंगी। अतः इस लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों पर

गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनकी खून/पेशाब की जाँचें की गयी हों। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

4.2. प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर की जाँच एवं एक बार ब्लड ग्रुपिंग/Rh Typing, सिफलिस, VDRL की जाँचें की जायेगी। प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लीनिक में भी सभी जाँचों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं वी0एच0एन0डी0 स्तर से जिला चिकित्सालय स्तर तक तथा इसी प्रकार प्रसव के दौरान, पी0एन0सी एवं पोस्ट ऑपरेटिव भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें एवं प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

4.3. भारत सरकार से वर्ष 2017–18 हेतु प्राप्त स्वीकृतियों में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस व चिकित्सालयों पर हीमोग्लोबिन, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट किट आदि सम्मिलित करते हुए सभी आवश्यक निःशुल्क जाँचों हेतु उपकरण, रीएजेण्ट तथा रैपिड टेस्टिंग किट्स आदि के लिये प्रति लाभार्थी औसतन रू0 200.00 की दर से व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु उपकरण तथा कन्ज्यूमेबिल्स आवश्यकतानुसार राजकीय नियमों के अधीन क्रय किये जा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी रिकरिंग कॉस्ट व मरम्मत आदि भी इस मद से करायी जा सकती है।

4.4. प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निम्नवत हैं–

- ✓ ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर – हीमोग्लोबिन रैपिड स्ट्रिप टेस्ट एवं साहली हीमोग्लोबिनोमीटर यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
- ✓ L-2 स्तर की ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ – हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- ✓ जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, GTT, HbsAg, VDRL, TFT, T3/T4/TSH एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।
- ✓ T3,T4,TSH, ब्लड शुगर तथा अन्य आवश्यक जाँचों हेतु जनपदों में जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध डायग्नोस्टिक सर्विसेज का लाभ भी लिया जाये।
- ✓ WBFPT हेतु स्टेट आर0सी0 द्वारा निर्धारित क्रय दरों पर ही खरीद की जाये।
- ✓ गर्भावस्था में मधुमेह की जाँच अत्यन्त आवश्यक है। उपकेन्द्र से जनपद तक प्रत्येक स्तर पर जाँच हेतु 18 मण्डलीय मुख्यालयों में (Screening, Diagnogisis and manage Gestational Diabetes) वर्ष 2017–18 से यह जाँच सभी जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों पर सम्पादित की जानी है। इसके लिये बजट पृथक से उपलब्ध कराया गया है।

4.5. प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय भी राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन महिला चिकित्सालयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जायें। अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध USG मशीन के पर्याप्त इस्तेमाल हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। पी0पी0पी0 मोड पर 40 जनपदों की 50 चिकित्सा इकाईयों पर गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड़ की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निःशुल्क जांच के मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि जनपदवार औसतन रू0– 200.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से आंगणित की गयी है जो एफ0एम0आर0 कोड **A.1.6.1** पर उपलब्ध है। वर्तमान में प्रथम किश्त (**अप्रैल 2017 से जुलाई 2017**) हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में निःशुल्क जाँच सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

6. **निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाः–**

6.1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह होंगी।

6.2. रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। कृपया इस सम्बन्ध में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरूष चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।**

7. **ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था–**

7.1. राज्य स्तर पर ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत दो टोल फ्री नं0 प्रचलित हैं – 1800–180–1900 व 1800–180–1545 इन नम्बरों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये। पूर्ण पारदर्शिता के लिये चिकित्सालयों में सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं इकाई के प्रभारी के सम्पर्क नम्बर के साथ–साथ यह दो टोल फ्री नं0 भी प्रदर्शित होने चाहिए।

7.2. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाये।

7.3. प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाये।

8. **योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–**

8.1. यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8.2. राज्य स्तर से प्रेषित जे0एस0एस0के पोस्टर का प्रारूप के अनुसार प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट X 5 फिट के आकार के 02–02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल–पेन्टिंग करायी जायें। यह जन सामान्य को आसानी से दिखाई देने वाले स्थान जैसे ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, लेबर रूम आदि पर ही प्रदर्शित किया जाये।

8.3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।

8.4. समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सतत रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अर्न्तवैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

9. पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

9.1. कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।

9.2. पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाये।

9.3. मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधियों व जाँचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

10. रिपोर्टिंगः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय भौतिक प्रगति हेतु मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में चिकित्सा अनुभाग–9 के शासनादेश सख्या –36/2015/694/पांच –9–2015–9(127)/12टी0सी0 दिनांक 26–05–2015 द्वारा समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रो एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायी निर्धारित किया गया है। स्पष्ट किया जाता है कि समस्त आंकड़ों को उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी मासिक समीक्षा हेतु यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ो/सूचना के आधार पर जनपदों की समीक्षा की जा सके।

वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये। सभी भौतिक प्रगति के आंकड़ों का एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 से मिलान आवश्यक है।

11. क्रय एवं वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2017–18 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न निःशुल्क सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक औषधियों, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं शीघ्र ही रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिये क्रय करने की कार्यवाही कर लें। इस मद में उपलब्ध राजकीय बजट का भी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 3 या 4 फांट में (सुविधानुसार प्रत्येक त्रैमास) किया जाये। सभी औषधियों, कन्ज्यूमेबिल्स, जाँच किट्स एवं रिएजेण्ट आदि की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मो को भुगतान करें। भुगतान को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाये।
- जनपद स्तर पर स्थापित एल–3 प्रसव इकाइयों (जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय) को अलग से बजट आबंटित कर दिया जाये जिससे वे स्वयं अपनी इकाइयों पर आवश्यक औषधियों, जाँचों, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जिला स्वास्थ्य समिति में चर्चा कर उनके प्रसव भार एवं आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात कर ली जाये।
- प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सभी आवश्यक औषधियाँ, जाँचें, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक माह औषधियों की उपलब्धता की सूचना यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर भी अंकित करवा दें।

- यदि कोई फर्म ऑर्डर करने के पश्चात राजकीय नियमानुसार निर्धारित अवधि में औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति नहीं करती है तो इसकी सूचना राज्य स्तर पर स्थापित निदेशक, औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन को अवश्य दें।
- जिला महिला चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, निःशुल्क जाँचें तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उनके प्रसव भार का आंकलन कर आवश्यकतानुसार धनराशि जिला महिला चिकित्सालयों के एन0आर0एच0एम0 खाते में स्थानान्तरित कर दी जाये। इसके लिये उसी खाते का उपयोग किया जा सकता है जिसमें जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
- उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जाय। किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके स्तर से पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करने के अनुरोध के साथ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
8 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक,मातृस्वा0

JSSK: Janani Shishu Suraksha kariyakaram Fin. Year 2017-18 (Proposed 1st Released for the period April to July 2017) under RCH Flexible Pool

SL No.	Districts	Free Diagnostics : A.1.6.1 Total Budget in Lakh Rs. for free Diagnostics @ Rs 200.00 (RCH Flexible Pool)		Free Diet : A.1.6.3 Total Budget for free diet @ Rs 200 for NDs and 500 for CS at L2&L3 (RCH Flexible Pool)		Total	
		Yearly Budget	Four month Budget	Yearly Budget	Four month Budget	Yearly Budget	Four month Budget
1	Agra	21,072,000	7,024,000	9,523,000	3,174,333	30,595,000	10,198,333
2	Aligarh	19,688,000	6,562,667	8,728,000	2,909,333	28,416,000	9,472,000
3	Allahabad	30,568,400	10,189,467	10,297,000	3,432,333	40,865,400	13,621,800
4	Ambedkar Nagar	11,568,000	3,856,000	3,258,000	1,086,000	14,826,000	4,942,000
5	Amethi	9,768,000	3,256,000	4,216,000	1,405,333	13,984,000	4,661,333
6	Amroha (JP Nagar)	9,816,800	3,272,267	2,717,000	905,667	12,533,800	4,177,934
7	Auraiya	6,455,600	2,151,867	2,998,000	999,333	9,453,600	3,151,200
8	Azamgarh	21,562,400	7,187,467	9,543,000	3,181,000	31,105,400	10,368,467
9	Baghpat	5,550,000	1,850,000	2,363,000	787,667	7,913,000	2,637,667
10	Bahraich	23,257,600	7,752,533	10,035,000	3,345,000	33,292,600	11,097,533
11	Ballia	14,957,800	4,985,933	6,324,000	2,108,000	21,281,800	7,093,933
12	Balrampur	15,885,600	5,295,200	5,259,000	1,753,000	21,144,600	7,048,200
13	Banda	9,829,200	3,276,400	5,467,000	1,822,333	15,296,200	5,098,733
14	Barabanki	16,720,400	5,573,467	9,023,000	3,007,667	25,743,400	8,581,134
15	Bareilly	23,582,800	7,860,933	6,717,000	2,239,000	30,299,800	10,099,933
16	Basti	13,071,800	4,357,267	6,103,000	2,034,333	19,174,800	6,391,600
17	Bijnor	17,330,400	5,776,800	4,603,000	1,534,333	21,933,400	7,311,133
18	Budaun	19,113,600	6,371,200	7,836,000	2,612,000	26,949,600	8,983,200
19	Bulandshahar	17,963,400	5,987,800	7,295,000	2,431,667	25,258,400	8,419,467
20	Chandauli	9,946,600	3,315,533	2,473,000	824,333	12,419,600	4,139,866
21	Chitrakoot	4,955,000	1,651,667	3,089,000	1,029,667	8,044,000	2,681,334
22	Deoria	15,413,400	5,137,800	8,276,000	2,758,667	23,689,400	7,896,467
23	Etah	9,533,600	3,177,867	2,948,000	982,667	12,481,600	4,160,534
24	Etawah	6,985,600	2,328,533	6,388,000	2,129,333	13,373,600	4,457,866
25	Faizabad	12,098,000	4,032,667	5,344,000	1,781,333	17,442,000	5,814,000
26	Farukkhabad	9,759,400	3,253,133	3,549,000	1,183,000	13,308,400	4,436,133
27	Fatehpur	11,774,000	3,924,667	5,972,000	1,990,667	17,746,000	5,915,334
28	Firozabad	12,760,200	4,253,400	5,697,000	1,899,000	18,457,200	6,152,400
29	Gautam Buddha Nagar	9,477,800	3,159,267	3,228,000	1,076,000	12,705,800	4,235,267
30	Ghaziabad	15,591,800	5,197,267	3,366,000	1,122,000	18,957,800	6,319,267
31	Ghazipur	16,776,800	5,592,267	4,698,000	1,566,000	21,474,800	7,158,267
32	Gonda	19,103,800	6,367,933	8,413,000	2,804,333	27,516,800	9,172,266
33	Gorakhpur	21,156,000	7,052,000	9,840,000	3,280,000	30,996,000	10,332,000
34	Hamirpur	4,911,800	1,637,267	2,869,000	956,333	7,780,800	2,593,600
35	Hapur	6,844,000	2,281,333	1,512,000	504,000	8,356,000	2,785,333
36	Hardoi	22,427,800	7,475,933	10,763,000	3,587,667	33,190,800	11,063,600
37	Hathras	7,251,600	2,417,200	4,132,000	1,377,333	11,383,600	3,794,533
38	Jalaun	7,306,800	2,435,600	3,487,000	1,162,333	10,793,800	3,597,933
39	Jaunpur	19,423,800	6,474,600	8,579,000	2,859,667	28,002,800	9,334,267
40	Jhansi	7,314,000	2,438,000	4,762,000	1,587,333	12,076,000	4,025,333
41	Kannauj	7,715,600	2,571,867	3,617,000	1,205,667	11,332,600	3,777,534
42	Kanpur Dehat	6,751,200	2,250,400	4,072,000	1,357,333	10,823,200	3,607,733
43	Kanpur Nagar	14,807,000	4,935,667	8,566,000	2,855,333	23,373,000	7,791,000
44	Kasganj	7,832,000	2,610,667	3,034,000	1,011,333	10,866,000	3,622,000
45	Kaushambi	9,486,600	3,162,200	4,743,000	1,581,000	14,229,600	4,743,200
46	Kushi Nagar (Padrauna)	21,234,400	7,078,133	5,839,000	1,946,333	27,073,400	9,024,466
47	Lakhimpur Kheri	22,012,000	7,337,333	10,016,000	3,338,667	32,028,000	10,676,000
48	Lalitpur	6,709,800	2,236,600	4,444,000	1,481,333	11,153,800	3,717,933
49	Lucknow	17,383,600	5,794,533	14,504,000	4,834,667	31,887,600	10,629,200
50	Maharajganj	15,263,600	5,087,867	5,468,000	1,822,667	20,731,600	6,910,534
51	Mahoba	4,188,400	1,396,133	2,197,000	732,333	6,385,400	2,128,466
52	Mainpuri	8,550,400	2,850,133	3,705,000	1,235,000	12,255,400	4,085,133
53	Mathura	11,668,800	3,889,600	4,010,000	1,336,667	15,678,800	5,226,267
54	MAU	9,322,400	3,107,467	2,935,000	978,333	12,257,400	4,085,800
55	Meerut	16,244,200	5,414,733	5,308,000	1,769,333	21,552,200	7,184,066
56	Mirzapur	10,790,400	3,596,800	6,437,000	2,145,667	17,227,400	5,742,467
57	Moradabad	16,296,200	5,432,067	4,471,000	1,490,333	20,767,200	6,922,400
58	Muzaffar Nagar	12,751,800	4,250,600	5,936,000	1,978,667	18,687,800	6,229,267
59	Pilibhit	10,256,400	3,418,800	3,752,000	1,250,667	14,008,400	4,669,467
60	Pratapgarh	15,108,000	5,036,000	5,996,000	1,998,667	21,104,000	7,034,667

61	Raebareli	10,770,400	3,590,133	8,157,000	2,719,000	18,927,400	6,309,133
62	Rampur	11,848,800	3,949,600	3,853,000	1,284,333	15,701,800	5,233,933
63	Saharanpur	18,085,200	6,028,400	7,854,000	2,618,000	25,939,200	8,646,400
64	Sambhal	12,339,200	4,113,067	4,858,000	1,619,333	17,197,200	5,732,400
65	Sant Kabir Nagar	10,413,200	3,471,067	3,279,000	1,093,000	13,692,200	4,564,067
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	7,358,600	2,452,867	2,052,000	684,000	9,410,600	3,136,867
67	Shahjahanpur	17,160,800	5,720,267	6,161,000	2,053,667	23,321,800	7,773,934
68	Shamali	6,474,600	2,158,200	2,490,000	830,000	8,964,600	2,988,200
69	Shravasti	9,489,800	3,163,267	4,381,000	1,460,333	13,870,800	4,623,600
70	Siddharth Nagar	19,733,400	6,577,800	4,565,000	1,521,667	24,298,400	8,099,467
71	Sitapur	25,503,800	8,501,267	13,339,000	4,446,333	38,842,800	12,947,600
72	Sonbhadra	10,610,200	3,536,733	3,084,000	1,028,000	13,694,200	4,564,733
73	Sultanpur	10,643,800	3,547,933	6,001,000	2,000,333	16,644,800	5,548,266
74	Unnao	12,733,600	4,244,533	6,941,000	2,313,667	19,674,600	6,558,200
75	Varanasi	13,888,200	4,629,400	5,493,000	1,831,000	19,381,200	6,460,400
	Total	**1,000,000,000**	**333,333,336**	**423,248,000**	**141,082,664**	**1,423,248,000**	**474,416,000**

JSSK: Janani Shishu Suraksha kariyakaram Fin. Year 2017-18 (Proposed 1st Released for the period April to July 2017) under Mission Flexible Pool

SL No.	Districts	Free Drugs & Consumables: B.16.2.1.3.1 Total Budget in Lakh Rs for free drugs & consumables (NDs @ Rs 400.00, C-Section @ Rs 1800.00, ANC coverage (80%) @ Rs 250.00) (Mission Flexible Pool)	
		Yearly Budget	Four month Budget
1	Agra	51,045,400	17,015,133
2	Aligarh	46,646,200	15,548,733
3	Allahabad	74,801,300	24,933,767
4	Ambedkar Nagar	26,225,000	8,741,667
5	Amethi	24,701,000	8,233,667
6	Amroha (JP Nagar)	18,771,600	6,257,200
7	Auraiya	14,948,700	4,982,900
8	Azamgarh	49,580,200	16,526,733
9	Baghpat	12,729,900	4,243,300
10	Bahraich	55,389,200	18,463,067
11	Ballia	37,637,650	12,545,883
12	Balrampur	31,863,200	10,621,067
13	Banda	26,106,500	8,702,167
14	Barabanki	47,965,300	15,988,433
15	Bareilly	45,838,700	15,279,567
16	Basti	36,277,750	12,092,583
17	Bijnor	34,163,600	11,387,867
18	Budaun	43,896,600	14,632,200
19	Bulandshahar	40,233,250	13,411,083
20	Chandauli	24,250,450	8,083,483
21	Chitrakoot	14,198,350	4,732,783
22	Deoria	42,292,950	14,097,650
23	Etah	18,107,200	6,035,733
24	Etawah	25,489,600	8,496,533
25	Faizabad	32,540,700	10,846,900
26	Farukkhabad	20,237,850	6,745,950
27	Fatehpur	29,461,700	9,820,567
28	Firozabad	29,156,650	9,718,883
29	Gautam Buddha Nagar	18,690,850	6,230,283
30	Ghaziabad	28,292,750	9,430,917
31	Ghazipur	39,625,200	13,208,400
32	Gonda	46,420,750	15,473,583
33	Gorakhpur	53,721,800	17,907,267
34	Hamirpur	14,936,550	4,978,850
35	Hapur	11,637,000	3,879,000
36	Hardoi	50,226,150	16,742,050
37	Hathras	18,117,500	6,039,167

Sd/- ACMH
24/9/2017

38	**Jalaun**	18,078,700	6,026,233
39	**Jaunpur**	48,657,350	16,219,117
40	**Jhansi**	24,160,500	8,053,500
41	**Kannauj**	18,870,500	6,290,167
42	**Kanpur Dehat**	17,640,600	5,880,200
43	**Kanpur Nagar**	44,223,150	14,741,050
44	**Kasganj**	17,432,000	5,810,667
45	**Kaushambi**	24,929,250	8,309,750
46	**Kushi Nagar (Padrauna)**	46,998,400	15,666,133
47	**Lakhimpur Kheri**	52,093,000	17,364,333
48	**Lalitpur**	20,907,450	6,969,150
49	**Lucknow**	71,514,500	23,838,167
50	**Maharajganj**	34,636,300	11,545,433
51	**Mahoba**	11,716,500	3,905,500
52	**Mainpuri**	19,613,800	6,537,933
53	**Mathura**	24,569,400	8,189,800
54	**MAU**	22,447,600	7,482,533
55	**Meerut**	35,456,450	11,818,817
56	**Mirzapur**	33,668,800	11,222,933
57	**Moradabad**	33,470,250	11,156,750
58	**Muzaffar Nagar**	35,578,550	11,859,517
59	**Pilibhit**	21,412,300	7,137,433
60	**Pratapgarh**	40,631,600	13,543,867
61	**Raebareli**	35,533,200	11,844,400
62	**Rampur**	25,374,200	8,458,067
63	**Saharanpur**	46,923,100	15,641,033
64	**Sambhal**	25,290,800	8,430,267
65	**Sant Kabir Nagar**	26,008,100	8,669,367
66	**Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)**	18,759,850	6,253,283
67	**Shahjahanpur**	33,331,000	11,110,333
68	**Shamali**	12,974,850	4,324,950
69	**Shravasti**	23,312,250	7,770,750
70	**Siddharth Nagar**	37,753,550	12,584,517
71	**Sitapur**	63,581,150	21,193,717
72	**Sonbhadra**	23,019,350	7,673,117
73	**Sultanpur**	32,161,150	10,720,383
74	**Unnao**	32,935,400	10,978,467
75	**Varanasi**	38,110,050	12,703,350
	Total	**2,430,000,000**	**810,000,000**

S/d TCCMY
24/07/2017